प्रेस नोट

दिनांक-16.11.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

"मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कठोर करावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में महिला सम्बन्धी अपराधो में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिगं सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर "**मिशन शक्ति**" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 115/20 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना पीपरपुर में अभियुक्त सुभाष पुत्र चैतूराम कोरी निवासी नेवढ़िया थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-12 सुलतानपुर द्वारा दिनांक 15.11.2022 को अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार रु0 अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 23.04.2020 को समय 19:30 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त सुभाष पुत्र चैतूराम कोरी निवासी नेवढ़िया थाना पीपरपुर जनपद अमेठी द्वारा नल पर पानी भरते समय छेड़छाड़ के संबंध में थाना पीपरपुर पर मु0अ0सं0 115/20 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री प्रेम प्रकाश थाना पीपरपुर द्वारा विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-161 दिनांक 28.06.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित की गई।